# RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF HELPER(NON GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE HIMACHAL PRADESH

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Name Of the post | : | **HELPER** |
| 2 | Number of posts | : | **36** |
| 3 | Classification: | : | **Non-Gazetted** |
| 4 | Scale of pay (Be given in expanded notation) | : | 2520-100-3220-110-3660-120-4140(With Initial Start of Rs.2620) |
| 5 | Whether selection post or non-selection post | : | **Non – Selection** |
| 6 | Age for direct recruitment | : | **18 to 45 years** |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis.

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit of relaxation for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Govt. servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Govt. servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such corporation/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such corporations/ Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(i)Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the posts(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii)Age and experience in the case of direct recruitment relax-able at the discretion of

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Minimum Educational & other qualifications required for direct recruitment | **(a) ESSENTIAL** Should be Middle Pas from recognised Board/ Institution<br><br>**(b)DESIRABLE QUALIFICATION**<br>Knowledge of customs, manners and dialects of H.P. and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh. |
| 8. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees | **I) AGE**..........................N.A...<br>**III) EDUCATIONAL QUALIFICATION**......N.A.... |
| 9. | Period of probation, if any: | Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the Competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing |
| 10. | Method of Recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods. | : **100 percent by direct recruitment**<br><br>**OR**<br><br>: **On Contract Basis** |
| 11. | In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made; | : N.A. |
| 12 | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition; | : N.A. |
| 13 | Circumstances under which the HPPSC to be consulted in making recruitment | : N.A. |
| 14 | Essential requirement for a direct recruitment | A candidate for appointment to any service or post must be:-<br>(a)a citizen of India |
| 15 | Selection for appointment to post by direct recruitment<br><br>OR | Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voca test of recruiting authorities or practical test the standard of which will be |

15-A Selection for appointment to the post on contract basis.

(1) **CONCEPT:**

(a)Under this policy the post of the Helper in the Department of Agriculture, H.P. will be engaged on contact basis initially for One year, which may be extendable on year to year basis.

(b)The candidates will be selected by advertising the vacant post by the Head of the Department Through Employment Exchange and at least in two leading newspapers.

(c)The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(d)Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim regularisation or permanent absorption on the said post.

(II) **EMOLUMENT PAYABLE:**

Consolidated amount Rs.3930/-(i.e. Rs. 2620/- initial pay+Rs.1310/- as DP).P.M.

**(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:**

Director of Agriculture, H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) **SELECTION PROCESS:**

Selection for appointment to the post in case of Contract Appointment recruitment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary practical test. The standard/ syllabus etc. will be determined by the Selection Committee.

(V) **COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:**

As may be constituted by the competent authority from time to time.

**(VI) AGREEMENT:**

After selection of candidate, he/She shall sign an agreement as per annexure-B appended to these rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS:**

(a)The Contract appointee will be paid fixed salary @ Rs. 2620+D.P Rs.1310 =Rs.3930/- P.M.

(b)The services of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the Contract appointee is not found good.

(c)Contact appointee shall not confer any right to incumbent for the regularisation in service at any stage.

(d)Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only Maternity Leave will be given as per rules in respect

## कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में हैल्पर श्रेणी–IV {अराजपत्रित} के भर्ती एवं प्रोन्नति नियम।

| | | |
|---|---|---|
| 1. पद का नाम | : | हैल्पर |
| 2. पदों की संख्या | : | 33 |
| 3. वर्गीकरण | : | चतुर्थ श्रेणी {अराजपत्रित} |
| 4. वेतनमान | : | 2520–100–3220–110–3660–120–4140 {न्यूनतम प्रारम्भिक वेतन रू0 2620/–} |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद | : | अचयन |
| 6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु | : | 18 से 45 वर्ष |

परन्तु सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा तदर्थ या संविदा पद नियुक्त किये गये पहले से सरकारी सेवा में नियुक्ति व्यक्तियों सहित अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी। परन्तु यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण चिहिंत आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है,

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा, में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारियों को नहीं दी जायेगी जो पश्चात कर्ता ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे,किये गये हैं और इन पब्लिक सैक्टर/निगमों /स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये है/किया गये थे।

{1} सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष में जिसमें कि पद {पदों} की रोजगार केन्द्रों को विज्ञापति किया गया या जैसा भी किसी मामले के अपक्षित हो, के प्रथम दिन से की जायेगी।

{2} अन्यथा सुहर्ति अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

| | |
|---|---|
| 7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हतायें: | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से आठवीं पास हो। |
| | (ख) वांच्छनीय अर्हतायें:— हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता। |
| 8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं। | लागू नहीं<br>शैक्षणिक अर्हतायें:— |
| 9. परिवीक्षा की अवधि | दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें। |
| 10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता: | शत्–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा<br>या<br>अनुबन्ध के आधार पर। |
| 11. प्रोन्नति प्रतिनियुक्तियों स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति नि प्रतितनयुक्ति या स्थानान्तरण किया जायेगा: | लागू नहीं |
| 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना: | लागू नहीं |
| 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा: | लागू नहीं |
| 14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा: | नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। |

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन

या

अनुबन्ध के आधार पर

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परामर्श के आधार पर और, भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समुचित समझें, तो व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/ भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

15.(ए)पद को अनुबन्ध के आधार पर भरने के लिए आवश्यक आहर्ताए

(1)प्रावधान

1.इस निति के आधार पर कृषि विभाग में हैल्पर की नियुक्ति अनुबन्ध के आधार पर आरम्भ में एक वर्ष के लिए की जाएगी जिसे आवश्यक्ता अनुसार वर्ष दर वर्ष बढ़ाया जा सकता है ।

2.अभ्यार्थियों की नियुक्ति अनुबन्ध आधार पर विभागाध्यक्ष द्वारा रिक्त पदों का ब्योरा रोजगार विभाग के कार्यालय को भेज कर व कम से कम दो स्थानीय प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करके की जाएगी।

3.नियुक्ति निर्धारित नियमों में दर्शाई गई योग्यता के आधार पर की जाएगी।

4.इन नियमों के अधीन अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यार्थी ~~हैल्पर~~ हैल्पर के पद पर नियमित होने या स्थाई समायोजन होने के पात्र नहीं होगें।

(2)देय वेतन तथा अन्य भत्ते

अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यार्थी को सामेकित रुप में मुवलिक 3930/--रुपये का प्रतिमास वेतन देय होगा (रुपये 2620/--पद का प्रारम्भिक वेतन जमा 1310 /--डी0 पी0)

(3) नियुक्ति एंव अनुशसनात्मक प्राधिकारी

कृषि निदेशक,हिमाचल प्रदेश नियुक्ति एंव अनुशासनात्कत प्राधिकारी होगें ।

(4)नियुक्ति की प्रक्रिया

अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति मौखिक या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर की जाएगी । जिसका स्तर भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

(5) अनुबन्ध के आधार पर कमेटी का गठन

जैसा कि समरा–2 पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी ।

(6) अनुबन्ध पत्र

इन नियमों के अनुसार अभ्यार्थी को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति होने पर शपथ पत्र अनुबन्ध के आधार पर प्रस्तुत करना होगा ।

(7) अनुबन्ध के आधार पर निगुक्ति हेतु नियम एंव शर्ते

1) अनुबन्ध के आधार पर अभ्यार्थी को निर्धारित मुवालिक 3930/--रुपये प्रतिमाह को सामेकित भुगतान किया जाएगा ।

2) अनुबन्ध आधार पर नियुक्ति पूर्ण रुप से अस्थाई आधार पर की जाएगी ।

3) यदि अभ्यार्थी के कार्य पद्धती या आचारण सही नहीं पाया गया तो उसके उसकी सेवाएं बिना नोटिस दिए समाप्त कर दी जाएगी ।

4)अनुबन्ध के आधार पर रखे गए किसी भी अभ्यार्थी को उस पद पर नियमित होने की पातत्रा नही होगी ।

5) अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यार्थी को एक माह की सेवा पूर्ण करने पर एक दिन का आकारिमक अवकाश देय होगा जोकि चालू कलैंडर वर्ष में देय होगा। इसके अतिरिक्त उसे किसी अन्य प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा । इसके अतिरिक्त नियुक्त किया गया अभ्यार्थी चिकित्सा दावे व छुटटी यात्रा रियायत के लिए पात्र नहीं होगा । केवल अनुबन्ध आधार पर नियुक्त की गई महिला अभ्यार्थी को नियमानुसार मातृत्व अवकाश देय होगा ।

6)सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना काटी गई छुटटी को कार्य से स्वेच्छा से अनुपस्थिति माना जाऐगा जिसके परिणाम स्वरुप अभ्यार्थी की अनुबन्ध के आधार पर की गई नियुक्ति समाप्त समझी जाएगी ।

7)अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त पर अभ्यार्थी एक स्थान से दुसरे स्थान के लिए स्थान्नातरण हेतु पात्र नहीं होगा

8)अनबन्ध के आधार पर नियुक्ति होने पर अभ्यार्थी को अपना शारिरिक स्वास्थय सम्बन्धी चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यार्थी जो 12 सप्ताह बाद तक गर्भधारण करने पर उन्हें अस्थाई तौर पर प्रसव होने तक अस्थाई तौर चिकित्सा के आधार पर आयोग्य समझा जाएगा । इसके पश्चात अभ्यार्थी को पुनः चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा ।

9)अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यार्थी को अगर सरकारी प्रवास पर भेजा जाता है तो उसके लिए नियमानुसार वह यात्रा भत्ते हेतु पात्र होगा। ।

<u>8) पद पर नियमित होने का दावा प्रस्तुत करने बारे</u>

अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यार्थी को इन नियमों के अनुसार विभाग में उस पर पर नियमित होने/स्थाई समायोजन की पात्रता नहीं होगी ।

16. आरक्षण: उक्त सेवा में नियुक्ति, हि०प्र० सरकार द्वारा समय–2 पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्ग और प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण हो बावत जारी किये गये अनुदेशों के, अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा: लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्तियां

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां इन कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत शिथिल कर सकेगी।